बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

संकल्प

पत्रांकः– प्र02/ब्रेडा अपर0 नीति–11/2008 1909 पटना, दिनांक– 07/06/2017

विषयः– "बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति 2011" को नई संवर्द्धन नीति–2017 के प्रवृत होने तक अवधि विस्तार।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के संबर्द्धन हेतु गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु प्रोत्साहन के मार्गदर्शक सिद्धांत संकल्प सं0– 1147 दिनांक– 05.03.2003 द्वारा निरूपित किए गये थे।

बिहार राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के दोहन की अभी भी प्रचुर संभावनाएँ है। बिहार सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन के संवर्द्धन हेतु एक पुनरीक्षित नीति निर्धारण का निर्णय लिया गया था। **"बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्द्धन नीति 2011"** को ऊर्जा विभाग के संकल्प संख्या 2845 दिनांक 24.06.2011 को बिहार गजट के असाधारण अंक संख्या 298 दिनांक 27.06.2011 द्वारा प्रकाशित किया गया है। संकल्प की कंडिका 1.2 में अंकित है कि–यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी। राज्य सरकार आवश्यक समझे जाने पर इसमें संशोधन कर सकेगी। इस प्रकार के संशोधन के अधीन यह नीति अधिसूचना जारी होने की अवधि से पॉच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। इस प्रकार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति 2011 दिनांक 23.06.2016 को समाप्त हो चुकी है। सोलर परियोजना से बिजली प्राप्त करने हेतु सोलर परचेज ऑवलिगेशन के अन्तर्गत 38 मेगावाट तथा Competitive Bidding से 100 मेगावाट का एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया है।

उक्त के आलोक में **"बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति 2011"** को नई संवर्द्धन नीति 2017 के प्रवृत होने तक अवधि विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। **"बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति 2011"** की सभी कंडिका– 1 से 7 तक यथावत् रहेगी।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

7/6/17

(विनोदा नन्द झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 1909 पटना, दिनांकः– 07/06/2017

प्रतिलिपिः– उप सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। अनुरोध है कि संकल्प की 100 (एक सौ) प्रतियाँ ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को भेजी जाय।

7/6/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\vinod\2017\A W\नीति ऊर्जा\MAY 2017 25-05-2017

ज्ञापांकः– 1909 पटना, दिनांकः– 07/06/2017

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव/राज्यपाल के सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, पटना/निदेशक, ब्रेडा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/~~मुख्य विद्युत निरीक्षक~~, विद्युत निरीक्षणालय/सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली/सचिव, नवीन और नवीकरणीय, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन नई दिल्ली/सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/6/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\vinul\2017\A W\र्विं मर\MAY 2017 25-05-2017